भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न □ख्□: 264
20 □□□, 2021 □□ □□□□□ □□□ प्रश्न □□ □त्त□
□□□□-9 की दूसरी लहर के दौरान चिकित्सीय संसाधनों की कमी

264 श्री □□□ □□□

क्□ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश को मेडिकल ऑक्सीजन, चिकित्सीय उपकरणों, कर्मचारियों, अस्पताल म बिस्तरों आदि की भारी कमी का सामना करना पड़ा है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा स्वास्थ्य देख-रेख संबंधी सुविधाओं म वृद्धि करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए ह और देश म अब क्या स्थिति है?

□त्त□

स्वास्थ्य □□ □□□□□ □ल्□□ □□ज□ □त्री (□. □□□□ प्र□□ □□□□)

(क) से (ग): अप्रैल- मई माह के दौरान कोविड- 19 मामलों म तीव्र बढ़ोत्तरी के कारण देश म स्वास्थ्य अवसंरचना पर अत्याधिक दबाव पड़ा।

स्वास्थ्य राज्य संबंधी विषय है, भारत सरकार ने राज्यों की सहायता की है तथा पर्याप्त अस्पताल बिस्तरों, दवाओं, मेडीकल ऑक्सीजन तथा अन्य उपभोग्य पदार्थों का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा स्वास्थ्य अवसंरचना के और अधिक सुदृढ़ीकरण सहित कई कार्रवाई की ह ताकि कोविड-19 रोगियों को उचित नैदानिक परिचर्या मुहैया कराई जा सके।

अस्पताल अवसंरचना सुदृढ़ीकरण हेतु चालू कुछ पहलों म निम्नलिखित शामिल ह :

- देश म गैर- कोविड रोगियों के लिए क्रास इंफेक्शन के जोखिम को कम करने के साथ-साथ गैर-कोविड आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता को बनाए रखने के इरादे से, विशिष्ट कोविड-19 स्वास्थ्य केन्द्रों की एक थ्री-टीयर व्यवस्था [(i) कोविड परिचर्या केन्द्र (सीसीसी), (ii) विशिष्ट कोविड स्वास्थ्य केन्द्र (डीसीएचसी) तथा (iii) विशिष्ट कोविड अस्पताल (डीसीएच) का देश म कार्यान्वयन किया गया है।]
- भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत उपलब्ध अस्पतालों/सुविधा केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के अलावा, ईएसआईसी, रक्षा, रेलवे, अर्ध-सैनिक बलों,

इस्पात मंत्रालय इत्यादि के अंतगत तृतीयक परिचया अस्पतालों का कोविड-19 मामलों के प्रबंधन हेतु उपयोग भी किया है। इसके अतिरिक्त, देश म कोविड-19 म वृद्धि के प्रबंधन हेतु डीआरडीओ द्वारा कई बड़े अस्थायी उपचार केन्द्र भी स्थापित किए गए।

- केन्द्र और राज्य सरकारों के ठोस प्रयासों के कारण, पहले लॉकडॉउन से पूव जो आइसोलेशन बिस्तर क्षमता और आईसीयू बिस्तर क्षमता महज 10,180 तथा 2,168 (23 माच, 2020 को स्थिति के अनुसार) थी वह 18,21,420 आइसोलेशन बिस्तर तथा 1,21,671 आईसीयू बिस्तरों (16 जुलाई, 2021 को स्थिति के अनुसार) तक बढ़ाई जा सकी।
- इसके अलावा, 'मेक इन इंडिया' विज़न के तहत सरकारों और उद्योगों के सम्मिलित प्रयासों से वटीलेटरों के संबंध म आयात पर निभरता को कम किया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र सरकार के संस्थानों को 56,218 वटीलेटर आवंटित किए गए जिनम से 48,060 की आपूर्ति (13 जुलाई, 2021 तक) की जा चुकी है।
- कई जिलों के पेरी-अबन और ग्रामीण इलाकों म रोग के प्रसार को संज्ञान म लेते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 16 मई, 2021 को "पेरी-अबन, ग्रामीण और जनजातीय इलाकों म कोविड-19 नियंत्रण एवं प्रबंधन पर एसओपी" जारी की है।
- इस समय और भविष्य म मामलों म किसी वृद्धि से बच्चों को सुरक्षित रखने की मंशा से दिनांक 18 जून, 2021 को बच्चों म कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी दिशा-निदश भी जारी किए गए। इन दिशा-निदशों म कोविड-19 के तीव्र फैलाव के प्रबंधन तथा बच्चों एवं किशोरों/किशोरियों म अस्थायी रूप से पाए जाने वाले कोविड-19 से संबंधित मल्टीसिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम (एमआईएस-सी) संबंधी माग-दशन का प्रावधान किया गया है।
- ऑक्सीजन सिलडरों और कंसन्ट्रेट्स की खरीद की जा रही और राज्यों को इनकी आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पूरे देश म पीएसए संयत्रों की स्वीकृति दी गई ह।
- इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने 23123 करोड़ रूपए (कद्रीय घटक के रूप म 1500 करोड़ रूपए और राज्य घटक के रूप म 8123 करोड़ रूपए) के साथ 'भारत कोविड- 19 आपातकालीन अनुक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज: चरण-II' का भी अनुमोदन किया है और इसे दिनांक 1जुलाई, 2021 से 31 माच 20222 तक क्रियान्वित किया जाना ह। इसम राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को समुदाय के समीप ग्रामीण, जनजातीय एवं पेरी- अबन शहरी क्षेत्रों सहित स्वास्थ्य अवसंरचना म सुधार करने, कोविड- 19 मामलों (बाल चिकित्सा परिचया सहित) के प्रबंधन के लिए जिला तथा उप-जिला स्तरों पर सेवा प्रदानगी म बढ़ोत्तरी के लिए औषधियों

तथा नैदानिक सामग्रियों को खरीद के लिए सहयोग देने तथा औषधियों का बफर स्टॉक बनाए रखने, आईटी क्रियाकलापों के लिए सहयोग जैसे कि अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन, सभी जिलों म टेली- परामश को सुलभता का विस्तार करने और कोविड- 19 के प्रबंधन हेतु सभी पहलुओं के लिए क्षमता निमाण एवं प्रशिक्षण संबंधी सहयोग शामिल ह।